307

431

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा

म0प्र0

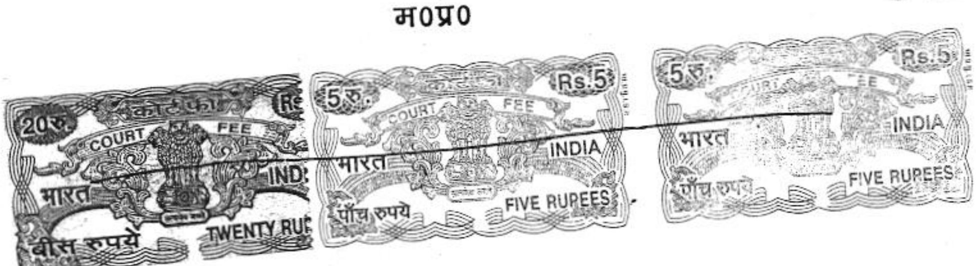

लालता प्रसाद तनय रामखेलावन बैसवार उम्र 76 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम कुलकवार तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0 ---आवेदक/निगरानीकर्ता

R 5098-II/17

बनाम

म0प्र0 शासन ---अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 19-3-17

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय चितरंगी जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ-74/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 22.07.14.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता.

मान्यवर,

निगरानी के आधारों को उल्लिखित किए जाने के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैः-

पुराना आराजी नम्बर 492/1 स्थित ग्राम कुलकवार तहसील चितरंगी स्थित जिला सिंगरौली के वंदोवस्त उपरान्त तैयार नया नम्बर 1038 रकवा 3.73ए0 आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, उक्त भूमि का पट्टा आवेदक को विधिवत तरीके से तहसीलदार साहब

(307)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5098-II/17 जिला सिंगरौली

ललता प्रसाद विरूद्ध म० प्र० शासन

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री प्रमोद मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 08/37-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22.07.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.03.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

उक्त भूमि का **पट्टा आवेदक को** विधिवत तरीके से तहसीलदार साहब